संख्याः-06/2019/614/61-2019-109/3-2007 (नि0-3)

प्रेशक,

योगेश्वर राम मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊः दिनांक 10 अक्टूबर, 2019

विषयः विभिन्न जनपदों में उप निर्वाचन कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग के अंतर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप निर्वाचन कार्य को सम्पन्न कराये जाने हेतु रू.540.60 लाख (रू0 पाँच करोड़ चालीस लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(3) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।

(4) पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कर लिया जायेगा।

(5) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में प्र0वि0 समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व प्रशासकीय विभाग को होगा।

(6) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(7) विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(8) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा कम्प्यूटर/उपकरण का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (Gem)/आई0टी0 टेण्डरिंग के माध्यम से किये जायेगा।

(9) लेखा शीर्षक-2015-निर्वाचन-00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-05 उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00 के अंतर्गत उल्लिखित मदों से सम्बंधित होने वाले व्यय का वहन 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) आहरित धनराशि किसी बैंक/पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-41 लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03- सामान्य निर्वाचन-00-04-यात्रा व्यय मद की संभावित बचतों से अनुदान संख्या-41 के लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-05-उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00-04-यात्रा व्यय तथा 2015-निर्वाचन-00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-05-उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00-08-कार्यालय व्यय एवं 2015-निर्वाचन-00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-05-उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00-11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई तथा 2015-निर्वाचन-00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-05-उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00-13-टेलीफोन पर व्यय के अंतर्गत पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-वित्त ई0-12-1460/दस-19, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्तः-

भवदीय,

योगेश्वर राम मिश्र
विशेष सचिव

संख्याः-06/2019/614/61-2019-109/3-2007 (नि0-3), तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 , लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम:-41, निर्वाचन विभाग वित्तीय वर्ष:-2019-2020 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2015-निर्वाचन-00-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन-00-04-यात्रा व्यय	9610.79	540.60	540.60	540.60	9070.19
योग:-	9610.79	540.60	540.60	540.60	9070.19

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2015-निर्वाचन-00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-05-उप निर्वाचन- राज्य विधान सभा-00-04-यात्रा व्यय	100.00	259.62	159.62	159.62	259.62
2015-निर्वाचन-00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-05-उप निर्वाचन- राज्य विधान सभा-00-08-कार्यालय व्यय	120.00	455.14	335.14	335.14	455.14
2015-निर्वाचन-00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-05-उप निर्वाचन- राज्य विधान सभा-00-11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00	55.52	45.52	45.52	55.52
2015-निर्वाचन-00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-05-उप निर्वाचन- राज्य विधान सभा-00-13-टेलीफोन पर व्यय	2.50	2.82	0.32	0.32	2.82
योग:-	232.50	773.10	540.60	540.60	773.10

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैं:-

चालू वित्तीय वर्ष-2019-2020 में जनपदों से कम मांग प्राप्त होने की संभावना के कारण बचत संभावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:- मतदान कार्मिकों के यात्रा भत्ता, अमिट स्याही, राजकीय प्रेस, टेण्टेज, फर्नीचर, ईधन, किराया,हल्का नाश्ता, वीडियोग्राफी, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, पोलिंग स्टेशन निर्माण एवं छाया पानी,

http://shasanadesh.up.gov.in

मानचित्र, मजदूरी, मतदाता सहायता बूथ का निर्माण, वोटिंग कम्पार्टमेंट, डमी बैलेट शीट व डाक टिकट, राजकीय वाहन चालकों व सेक्टर/ जोनल

मजिस्ट्रेट का पारिश्रमिक, प्रेक्षकों क विविध व्यय, वेब कास्टिंग आदि, विभिन्न प्रयोगार्थ लेखन सामग्री एवं अस्थायी टेलीफोन के कनेक्शन आदि हेतु धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आरई.125 /ई-12-1460/दस-2019, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(ओम प्रकाश यादव)
अनु सचिव,
निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन ।

(राजीव कुमार वत्स)
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

संख्या:06/2019/614/61-2019-109/3-2007(निर्वा-3) दिनांक 10 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6- गार्ड फाईल ।

(ओम प्रकाश यादव)
अनु सचिव,
निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन ।

http://shasanadesh.up.gov.in